

जनपद पीलीभीत में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में आर०आर०सी० का निर्माण किया गया है। जिनमें ई-रिक्शा के माध्यम से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कर आर०आर०सी० पर एकत्र कर अलग-अलग पृथकीकरण का कार्य किया जा रहा है। ओ एन्ड एम के अंतर्गत रु० 6000/-०० प्रति की दर से धनराशि रिक्शा चालक एवं आरआरसी पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा दी जायेगी।